| राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र / National Load Despatch Centi | राष्ट्रीय | भार | गर प्रेष | lol | केंद्र | 1 | National | Load | Despatch | Centr |
|--|-----------|-----|----------|-----|--------|---|----------|------|----------|-------|
|--|-----------|-----|----------|-----|--------|---|----------|------|----------|-------|

|       |   |           |     |     |       |     | -   | 0   |  |
|-------|---|-----------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--|
| -04-  |   | A 1 - 1 - |     |     | 20    | 17. | m 3 | ,08 |  |
| 4IICH | H | Notice    | NO. | NII | 1 1/6 | 111 | 0 - | 100 |  |

तिथि Date: 24, 03, 17

सेवा में TO NRLDC, WRLDC, ERLDC

## चेतावनी नोटिस WARNING NOTICE

निम्नलिखित कॉरीडोर पर वास्तविक विद्युत प्रवाह उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी) से ऊपर है The actual transfer of electricity on following corridors has crossed the ATC.

| कॉरीडोर/नियंत्रण क्षेत्र<br>Corridor/Control Area | ए टी सी (मेगावाट)<br>ATC (MVV) | वास्तविक प्रवाह (मेगावाट)<br>Actual Flow (MW) |  |  |
|---|--------------------------------|---|--|--|
| WR-NR   | 7050                           | 7915  |  |  |
| NR Import   | 10000                          | 10756   |  |  |

प्रणाली तो अवमुक्त करने हेतु, संकुलित कॉरिडॉर के अनुप्रवाह स्थित निम्न क्षेत्रीय इकाईयों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निकासी कम करें/ अपना उत्पादन बढ़ाएँ:

The following regional entities, which are downstream of the congested corridor, are advised to reduce their drawal/increase their generation to decongest the system:

1.

All constituents & entities of NR

m.

-पणाती तो अवमुक्त करने हेतु, संकुलित कॉरिडॉर के ऊध्वप्रवाह स्थित निम्न क्षेत्रीय इकाईयों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निकासी बढ़ाएँ/ अपना उत्पादन कम करें:

The following regional entities, which are devinstream of the congested corridor, are advised to increase their drawal/ reduce their generation to decongest the system:

All constituents & entitles of ER & WR

n.

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

यह संकुलन प्रभार लागू किए जाने के पहले चेतावनी नोटिस हैं एवं के.वि.वि.आ. (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 के अनुरूप निर्गत किया जा रहा है

This is a warning notice before levy of congestion charges and Issued in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real time operation) Regulations, 2009